न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील संख्या — 03 / 2018

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2018 / 00028

अपीलांटः—

1. भुरे खॉ पुत्र कादर खॉ जाति शेख मुसलमान निवासी घाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली

बनाम रेस्पोंडेंट्सः—

1. मृतक अब्दुल खॉ पुत्र कादर खॉ के वेधिक वारिसान
   1/1 सुगरो बेवा अब्दुल खॉ जाति शेख मुसलमान निवासी धाणेराव तहसील देसूरी जिला पाली हाल घॉसीवाडा बग्गीखाना के पास सिरोही
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देसूरी

उपस्थितिः—

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषकगण अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लवाना, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स संख्या 2

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध नायब तहसीलदार देसूरी के आदेश दिनांक अदिनांकित धाणेराव के म्युटेशन संख्या 14 को स्वीकृत किया उस आदेश को निरस्त कराने बाबत्

—:आदेशः— दिनांक 8/4/21

1. अपीलांट ने यह प्रार्थना—पत्र धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने धाणेराव के गत खसरा नंबर 334 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 335 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 336 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 353 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 354 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा की भूमि वक्त जागीरी धाणेराव ठिकाने की कृषि भूमि थी जो तत्कालिन समय में खालसा के तौर पर म्युटेशन संख्या 4 में दर्ज है जिसकी खातेदारी धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार ने कॉलम संख्या 6 में वर्णित खसरान के अलावा कॉलम संख्या 12 में खसरा नंबर 337,338 ओर जोड़ते हुये खातेदारी देने का म्युटेशन मंजुर किया है जो कॉलम संख्या 6 में कुल खसरा 5 दर्शाये गये है जबकि कॉलम संख्या 12 में कुल खसरा 6 वर्णित किये है जिसमें खसरा नंबर 353 कॉलम संख्या 6 में अंकित है लेकिन कॉलम संख्या 12 में उक्त खसरा अंकित नही है ओर उसकी जगह खसरा नंबर 337 व 338 दर्शाये है जो भी कानुनन गलत है जिस म्युटेशन को निरस्त करना लाजमी है। अधिनस्थ नायब तहसीलदार को धारा 15 के तहत म्युटेशन स्वीकृत करने का कोई अधिकार ही नही था क्योंकि ऐसी खातेदारी सहायक कलक्टर के आदेश से ही नायब तहसीलदार स्वीकृत कर सकता था लेकिन यहा तो किसी तरह का कोई आदेश ही नही है ओर अपने स्तर पर नायब तहसीलदार ने म्युटेशन स्वीकृत किया है जो अवैध व अनाधिकारपूर्ण होने से म्युटेशन खारीज योग्य है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी वो ही व्यक्ति ले सकता है जो भूमिधारी का स्वीकृत (एडमीटेड टिनेन्ट) हो लेकिन यहा इस तरह की न तो कोई शहादत

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

है कि अब्दुल खॉ ने भूमिधारी को कोई लगान दिया हो अर्थात् अपनी काश्त की उपज का भोग लटाया हो ओर उसकी कही खाते में इन्द्राज हो उस दस्तावेज या उस रसीद को अब्दुल खॉ ने साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाई हो या भुमिधारी को शहादत में पेश कर उस दस्तावेज को सावित करवाया हो ऐसी कुछ नही है। इस बात का सबुत पेश नही हो पाया कि म्युटेशन संख्या 14 में वर्णित भुमि का अब्दुल खॉ भुमिधारी का स्वीकृत काश्तकार रहा हो ऐसी सुरत में इस जमीन की खातेदारी किसी भी सुरत में अब्दुल खॉ पुत्र कादर खॉ को नही दी जा सकती थी फिर भी दी है जो म्युटेशन संख्या 14 खारीज होने योग्य है अब्दुल खॉ की जन्म दिनांक 3.9.1938 है जो टिनेन्सी कानुन लागु होने के रोज करीब 17 वर्ष का नाबालिग व्यक्ति था जो किसी सुरत में न तो बालिग था न ही संविदा कर सकता था अर्थात भुमि को काश्त करने हेतु भी अयोग्य था तथा 1957 तक वह विद्यार्थी था जो 1955 में कक्षा 8 वी का विद्यार्थी था फिर भी उसको तारीख 15.10.1955 को स्वीकृत कृषक मानते हुये जो खातेदारी दी है वह खातेदारी अवेध एवं अनाधिकारपूर्ण है जो म्युटेशन खारीज करने योग्य है वर्तमान खसरा नंबर 2320 व 2199 अपीलांट के कब्जे काश्त मे है जो खसरा नंबर 2199 गत खसरा नंबर 336 व 337 से बना हुआ है जो खसरा नंबर 2199 गत खसरा नंबर 336 व 337 से बना हुआ है तथा खसरा नंबर 2320 गत खसरा नंबर 367 मिन, 354,355 से बना है जो अपीलांट के कब्जे काश्त में है ओर अपीलांट भी कादर खॉ जी का ही पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट मृतक अब्दुल खॉ का भाई है वक्त टिनेन्सी कानून लागू होने के रोज कादर खॉ जी जीवित थे ओर उनका ही कब्जा काश्त था इसलिये अब्दुल खॉ ने नायब तहसीलदार से मिलीभगती करके अकेले ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाई है जो सरासर गलत है ओर अब्दुल खॉ के मरने पर फौतेगदी म्युटेशन ग्राम धाणेराव के म्युटेशन संख्या 867 के जरिये सुगरा का नाम दर्ज हुआ है व सुगरा ने अपने छोटे देवर इकबाल खॉ से मिलीभगती करे इकबालिया बयान देकर व राजस्व वाद संख्या 37/90 में इकबाल खॉ व सुगरा ने मिलीभगती करके अपीलांट के कब्जे की भूमि को दावा में डिक्री करवाई है जिसकी जानकारी तारीख 4.2.2016 को अपीलांट को हुई तब पुरे कागजात की नकले हल्का पटवारी, पाली जिला रेकर्ड व तहसीलदार कार्यालय से कागजात निकाले। जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। वैसे म्युटेशन संख्या 14 अवैध एवं अनाधिकारपूर्ण है व साथ ही अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको कानुन की अज्ञानता है केवल साक्षरता अभियान के तहत उसने हस्ताक्षर करना सीखा है इसके अलावा अपीलांट को कोई शिक्षा का ज्ञान नही है इसलिये जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद शुमार की जाना विधि संगत है वरना अपीलांट के मौलिक हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा अपीलांट न्यास से वंचित रहेगा। अपीलांट के कब्जे की भुमि होने से अपीलांट पीड़ित पक्षकार है अतः अपीलांट की अपील अंदर म्याद शुमार की जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे तथा म्युटेशन संख्या 14 जो नायब तहसीलदार देसूरी ने मंजुर किया उसे मय खर्चा खारीज फरमावे तथा न्यायालय अगर उचित समझे तो ऐसे अवैध व अनाधिकारपूर्ण म्युटेशन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेन्स करवाने हेतु आदेश दिया जाना भी न्यायोचित रहेगा।

2. अपील मयाद बाहर होने से अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण विरूद्ध तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

5. वकील रेस्पोडेण्ट्स ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस हेतु निवेदन किया।

6. बहस अपील उभयपक्ष की सुनी गई।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये बहस के द्वौरान निवेदन किया कि अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने धाणेराव के गत खसरा नंबर 334 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 335 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 336 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 353 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 354 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा की भूमि वक्त जागीरी धाणेराव ठिकाने की कृषि भूमि थी जो तत्कालिन समय में खालसा के तौर पर म्युटेशन संख्या 4 में दर्ज है जिसकी खातेदारी धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार ने कॉलम संख्या 6 में वर्णित खसरान के अलावा कॉलम संख्या 12 में खसरा नंबर 337,338 ओर जोड़ते हुये खातेदारी देने का म्युटेशन मंजुर किया है जो कॉलम संख्या 6 में कुल खसरा 5 दर्शाये गये है जबकि कॉलम संख्या 12 में कुल खसरा 6 वर्णित किये है जिसमें खसरा नंबर 353 कॉलम संख्या 6 में अंकित है लेकिन कॉलम संख्या 12 में उक्त खसरा अंकित नही है ओर उसकी जगह खसरा नंबर 337 व 338 दर्शाये है जो भी कानुनन गलत तथा म्युटेशन को निरस्त करना लाजमी है। अधिनस्थ नायब तहसीलदार को धारा 15 के तहत म्युटेशन स्वीकृत करने का कोई अधिकार ही नही था क्योंकि ऐसी खातेदारी सहायक कलक्टर के आदेश से ही नायब तहसीलदार स्वीकृत कर सकता था लेकिन यहा तो किसी तरह का कोई आदेश ही नही है ओर अपने स्तर पर नायब तहसीलदार ने म्युटेशन स्वीकृत किया है जो अवैध व अनाधिकारपूर्ण है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी वो ही व्यक्ति ले सकता है जो भूमिधारी का स्वीकृत (एडमीटेड टिनेन्ट) हो लेकिन यहां इस तरह की न तो कोई शहादत है कि अब्दुल खॉ ने भूमिधारी को कोई लगान दिया हो अर्थात् अपनी काश्त की उपज का भोग लटाया हो ओर उसकी कही खाते में इन्द्राज हो। उस दस्तावेज या उस रसीद को अब्दुल खॉ ने साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाई हो या भुमिधारी को शहादत में पेश कर उस दस्तावेज को सावित करवाया हो ऐसी कुछ नही है। इस बात का सवुत पेश नही हो पाया कि म्युटेशन संख्या 14 में वर्णित भुमि का अब्दुल खॉ भुमिधारी का स्वीकृत काश्तकार रहा हो ऐसी सुरत में इस जमीन की खातेदारी किसी भी सुरत में अब्दुल खॉ पुत्र कादर खॉ को नही दी जा सकती थी फिर भी दी है जो म्युटेशन संख्या 14 खारीज होने योग्य है अब्दुल खॉ की जन्म दिनांक 3.9.1938 है जो टिनेन्सी कानुन लागु होने के रोज करीब 17 वर्ष का नावालिग व्यक्ति था जो किसी सुरत में न तो वालिग था न ही संविदा कर सकता था अर्थात भुमि को काश्त करने हेतु भी अयोग्य था तथा 1957 तक वह विद्यार्थी था जो 1955 में कक्षा 8 वी का विद्यार्थी था फिर भी उसको तारीख 15.10.1955 को स्वीकृत कृषक मानते हुये जो खातेदारी दी है वह खातेदारी अवेध एवं अनाधिकारपूर्ण है जो म्युटेशन खारीज करने योग्य है वर्तमान खसरा नंबर 2320 व 2199 अपीलांट के कब्जे काश्त मे है जो खसरा नंबर 2199 गत खसरा नंबर 336 व 337 से बना हुआ है जो खसरा नंबर 2199 गत खसरा नंबर 336 व 337 से बना हुआ है तथा खसरा नंबर 2320 गत खसरा नंबर 367 मिन, 354,355 से बना है जो अपीलांट के कब्जे काश्त में है ओर अपीलांट भी कादर खॉ जी का ही पुत्र है तथा रेस्पोडेन्ट मृतक अब्दुल खॉ का भाई है वक्त टिनेन्सी कानून लागू होने के रोज कादर खॉ जी जीवित थे ओर उनका ही कब्जा काश्त था इसलिये अब्दुल खॉ ने नायब तहसीलदार से मिलीभगती करके अकेले ने अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाई है जो सरासर गलत है ओर अब्दुल खॉ के मरने पर फौतेगदी म्युटेशन ग्राम धाणेराव के म्युटेशन संख्या 867 के जरिये सुगरा का नाम दर्ज हुआ है व सुगरा ने अपने छोटे देवर इकवाल खॉ से मिलीभगती करे इकबालिया बयान देकर व राजस्व वाद संख्या 37/90

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

में इकबाल खॉ व सुगरा ने मिलीभगती करके अपीलांट के कब्जे की भूमि को दावा में डिक्री करवाई है जिसकी जानकारी तारीख 4.2.2016 को अपीलांट को हुई तब पुरे कागजात की नकले हल्का पटवारी, पाली जिला रेकर्ड व तहसीलदार कार्यालय से कागजात निकाले। जिस पर अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद पेश है। वैसे म्युटेशन संख्या 14 अवैध एवं अनाधिकारपूर्ण है व साथ ही अपीलांट ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसको कानुन की अज्ञानता है केवल साक्षरता अभियान के तहत उसने हस्ताक्षर करना सीखा है इसके अलावा अपीलांट को कोई शिक्षा का ज्ञान नही है इसलिये जानकारी से अपीलांट की अपील अंदर म्याद शुमार की जाना विधि संगत है वरना अपीलांट के मौलिक हक अधिकारो पर कुठाराघात होगा अपीलांट न्यास से वंचित रहेगा। अपीलांट के कब्जे की भुमि होने से अपीलांट पीड़ित पक्षकार है अतः अपीलांट की अपील अंदर म्याद शुमार की जाना न्यायोचित है। साथ ही भू.अ. निरीक्षक देसूरी की जांच रिपोर्ट दिनाकं 23.02.2009 के अनुसार खसरा नंबर 2193,2194,2195,2198,2320,2321,2195/ रकबा 5.31 हैक्टर सुगरो बेवा अब्दुल खॉ कौम शेख के नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। इनमे से खसरा नंवर 2193,2194,21952195/3751,2198,321 सुगरो के कब्जा काश्त व खसरा नंवर 2320 भुरेखां पुत्र कादर खा शेख क कब्जा कातश मे होना बयान से जाहिर होता है। खसरा नंबर 2332 जो रेकर्ड मे जुबेरा पत्नि निजार मोहम्मद अकरम खा पुत्र निजार मोहम्मद के नाम से है जो सुगरो को पुत्री व उसके दोयता के नाम से जो हाल सिरोही रहते हैं इस खेत की भी देखभाल सुगरो ही करती है जो बयानात से जहीर होता हैं खसरा नंवर 2199,2322,2327,2328 रकवा 2.92 है जो इकबाल खां पुत्र कादर खा कौम शेख के नाम से वर्ममान में खातेदारी दर्ज है उक्त खसरो में खसरा नंबर 2322,2327,2328 इकबाल खा पुत्र कादरखां का कब्जा काश्त व खसरा नंबर 2199 भुरेखा पुत्र कादर खां शेख का कब्जा काश्त होना बयानात व मौका स्थिति से होना जाहीर होता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमावे तथा म्युटेशन संख्या 14 जो नायब तहसीलदार देसूरी ने मंजुर किया उसे मय खर्चा खारीज फरमावे।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स ने बहस द्वौरान निवेदन किया कि नायक तहसीलदार देसूरी द्वारा म्युटेशन संख्या 14 द्वारा भरा गया है वह विधि संवत है।

9. बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये पत्रावली का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिनस्थ नायब तहसीलदार धाणेराव द्वारा मौजा ग्राम धाणेराव के गत खसरा नंबर 334 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 335 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 336 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 353 रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 354 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा की भूमि वक्त जागीरी धाणेराव ठिकाने की कृषि भूमि थी जो तत्कालिन समय में खालसा के तौर पर म्युटेशन संख्या 4 में दर्ज है जिसकी खातेदारी धारा 15 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार ने कॉलम संख्या 6 में वर्णित खसरान के अलावा कॉलम संख्या 12 में खसरा नंबर 337,338 ओर जोड़ते हुये खातेदारी देने का म्युटेशन मंजुर किया है जो कॉलम संख्या 6 में कुल खसरा 5 दर्शाये गये है जबकि कॉलम संख्या 12 में कुल खसरा 6 वर्णित किये है जिसमें खसरा नंबर 353 कॉलम संख्या 6 में अंकित है लेकिन कॉलम संख्या 12 में उक्त खसरा अंकित नही है ओर उसकी जगह खसरा नंबर 337 व 338 दर्शाये है जो भी कानुनन गलत है जिस म्युटेशन को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। मौजा ग्राम धाणेराव तहसील देसूरी के नामान्तरकरण संख्या 14 जो नायब

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार देसूरी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है की दोनो पक्षों को नोटिस से तलब किया जाकर, साक्ष्य/सबूत तथा सुनवाई का प्रयाप्त अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण को पुनः नियमानुसार विधि अनुरूप भरा जावें। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 8/4/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)